उपखण्ड अधिकारी
सरवाड जिला-अजमेर

16.6.16 पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु./पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी। पक्षकारान में समझाइश की गयी। परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटायी जावें मिसल दिनांक 2.8.16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड जिला-अजमेर

2.8.16 → पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। वास्ते जवाब मिसल दिनांक 2.9.16 को पेश हो।
SDO Sarwar

2.9.16 → पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। वास्ते जवाब मिसल दिनांक 4.10.16 को पेश हो।
SDO Sarwar

4.10.16 → पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। वास्ते जवाब मिसल दिनांक 24.10.16 को पेश हो।
SDO Sarwar

24.10.16 → पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। वास्ते जवाब मिसल दिनांक 3.11.16 को पेश हो।
SDO Sarwar

3.11.16 → पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। वास्ते जवाब मिसल दिनांक 10.11.16 को पेश हो।
SDO Sarwar

10.11.16 → पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी - अप्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी - अप्रार्थी जवाब देना नहीं चाहते है सीधे बहस करना चाहते है। अतः उनकी प्रार्थना पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि आराजी तहसगाह ग्राम गोयला की खाता सं. 507-474 खसरा नं. 48/2 रकबा 05-01-00 नं० 2, खाता सं. 508-174 खसरा नम्बर 48/1 रकबा 13-00-00 बीघा, खसरा नं. 48/3 रकबा 12-00-00 बीघा नं० 3 रमेश कंवर प्रार्थीयांके नाम है। अतः लाकैयता करना अस्थाई निषेधाज्ञा से पार्क

रमेशकंवर

FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत..मुकाम..

....बनाम..

स्म मुकदमा..न. ....सन्...

किया जावे। अप्रार्थी के लायक वकील श्री सज्जन कुमार ने प्रार्थीयों की प्रार्थना का कोई विरोध नहीं किया।

अतः ग्राम गोयला की जमाबंदी सं. 2065-68 खाता सं. नया-पुराना 507-474 खसरा नं. 48/2 रकबा 5) बीघा व ख० नं. 48/1 व 48/3 किता 2 रकबा 25) बीघा प्रार्थीयां का खातेदारी का है।

अतः वाद पत्र के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 स्वयं उनके अधिनस्थ, [illegible] वारिसान, रिश्तेदार, मजदूर एवं मित्रगण हितैषी एवं मुख्त्यार आम इत्यादि को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के स्थित प्रार्थीया के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। ना ही वादीयां की खातेदारी की आराजी के जबरन विक्रय का प्रयास करे। न ही प्रार्थीयां की उसकी आराजी के कृषि उपज पैदा करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद में तय होगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर